न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 48/2019

उनवान

1. श्रवणी देवी पत्नी छोटू,
2. रामा,
3. धीर सिंह,
4. हरि सिंह पि. छोटू,
5. रामी,
6. नानी पुत्रियॉ छोटू जाति रावत नि. बनेवडा, नसीराबाद

वादीगण :—– श्री रमेश रावत

बनाम

1. नन्दकिशोर पुत्र श्रवण,
2. गीता पुत्री श्रवण,
3. रूकमा पत्नी रामदेव,
4. लाला,
5. मदन,
6. प्रहलाद पि0 रामदेव,
7. गुमानी,
8. सीता,
9. गीता,
10. मोना,
11. संतोष पुत्री रामदेव, जाति रावत नि. बनेवडा, नसीराबाद,
12. राज. सरकार जरियें तहसीहलदार नसीराबाद

प्रतिवादीगण :– 1 से 11 अनुपस्थित
12 जरिये तहसीलदार नसीराबाद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 रा0 का0 अधि0 1955

दिनांक :– 6/6/24

–: निर्णय :–

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बनेवडा के वंर्किग खसरा नम्बर 646 रकबा 0.24 हाल खसरा नम्बर 394 रकबा 0.24 की आराजी विरासत से प्राप्त होकर मौखिक बंटवारे में श्रवण पुत्र सरदारा के हिस्से में आयी थी। तथा श्रवण पुत्र सरदारा ने उक्त आराजी जरियें विकय पत्र दिनांक 15.07.1978 को वादीगण के पति/पिता को विकय कर दिया। जिनकी मृत्यु के बाद वादीगण उक्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है। विकेता श्रवण के वारिस प्रतवादी ख्या 1 व 2 है। हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी श्रवण के भाई रामदेव के वारिसों के नाम दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 3 से 11 का उक्त आराजी पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। हाल राजस्व अभिलख के त्रुटिपूर्ण

---2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:26:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

इन्द्राज के कारण प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर दखलदांजी कर रहे है व अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है अतः वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज0 पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया। शेष प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

प्रकरण में कोई खण्डन नही होने से प्रकरण में तनकियात कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र पेश किये व साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज0 पैराकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार चौसाला खसरा नम्बर 442 रकबा 5–11–10 सरदारा पुत्र हिन्दु व अन्य कई व्यक्तियों के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजी का वर्किंग खसरा नम्बर 646 रकबा 1–9–0 व हाल खसरा नम्बर 394 रकबा 0.24 रामदेव पुत्र सरदारा के नाम दर्ज है। वादीगण के पति/पिता ने उक्त आराजी श्रवण पुत्र सरदारा से दिनांक 15.7.1978 को कय की थी। कय दिनांक को व हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी कभी भी विकेता की खातेदारी में नही रही। वादी का कथन है कि उक्त आराजी खातेदार रामदेव पुत्र सरदारा के भाई विकेता श्रवण पुत्र सरदारा के हिस्से में मौखिक बंटवारे से आयी किन्तु इसके समर्थन में कोई साक्ष्य व दसतावेज पेश नही किये हैं। चौसाला जमाबंदी में भी उक्त आराजी कई व्यक्तियों के नाम दर्ज है। समस्त तत्कालीन खातेदार को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है। चौसाला खसरा नम्बर 442 का कुल रकबा 5–11–10 था किन्तु वादी ने समस्त रकबे की स्थिति स्पष्ट नही की हैं। उक्तानुसार स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा वादीगण के पति/पिता की विधिक कयशुदा नही है। हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है। वादीगण आराजी मुतनाजा पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नही है।

उक्तानुसार ग्राम बनेवडा के हाल खसरा नम्बर 394 रकबा 0.24 की आराजी पर वादीगण का वाद "खारिज" किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:26:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

श्रवणी बनाम नन्दकिशोर

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 48/2019
पेश करने की दिनांक – 17.05.19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक रमेश रावत मुददई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम वनेवडा के हाल खसरा नम्बर 394 रकबा 0.24 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

वअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 6 माह 6 सन 2024 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:26:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner